प्रतिवादियों की सूची से प्रतिवादी संख्या 6 का नाम हटाए बिना मुकदमा आगे बढ़ाया जाए। इसलिए, यह पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

एन.के.एस

अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति एच.आर सोढ़ी *के समक्ष*

जौहरी मल, अपीलकर्ता।

बनाम

सुरजन सिंह और अन्य,-प्रतिवादी।

Regular Second Appeal No. 1068 of 1968

सितंबर24, 1969.

परिसीमन अधिनियम(1963 का XXXVI) - धारा 14(3) - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - धारा 11 और आदेश 23, नियम 1 - नया मुकदमा दायर करने के लिए न्यायालय की अनुमति से पिछला मुकदमा वापस ले लिया गया - ऐसे पिछले मुकदमे पर मुकदमा चलाने की अवधि -क्या बाद के मुकदमे के लिए परिसीमा की अवधि की गणना में बाहर रखा जाए - के लिए शर्तें। इस तरह के बहिष्करण - कहा गया - पुनर्निर्णय की याचिका - चाहे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो या समान प्रकृति के अन्य कारण से।

अभिनिर्धारित किया गया कि अब पहली बार 1963 के लिमिटेशन एक्ट में एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वादी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के तहत मुकदमा वापस लेता है, वह मुकदमे के लिए सामान्य रूप से निर्धारित सीमा की अवधि की गणना में समय को बाहर कर सकता है। पिछले मुकदमे पर मुकदमा चलाने में खर्च किया गया था, बशर्ते कि उसने उचित परिश्रम और सद्भावना के साथ उस पर मुकदमा चलाया और मुकदमा वापस ले लिया गया क्योंकि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण के कारण विफल होने के लिए बाध्य था। दोष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या उसी प्रकार के किसी कारण से संबंधित होना चाहिए, न कि किसी अन्य औपचारिक दोष के लिए जिसके लिए मुकदमा वापस ले लिया गया है, वादी को खर्च की गई अवधि में कटौती करने का अधिकार मिलता है। अधिकार क्षेत्र में दोष दर्शाने वाले सभी कारणों की एक विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं है और प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालाँकि, विधायिका ने अधिनियम की धारा 14 के स्पष्टीकरण के खंड 'सी' में यह प्रावधान किया है कि पार्टियों की गलतफहमी या कार्रवाई के कारणों को क्षेत्राधिकार के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण माना जाएगा।>¬¬

(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 14(3) में 'समान प्रकृति के अन्य कारण' शब्दों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें उनके पूर्ववर्ती शब्दों के अनुरूप एक अर्थ दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि मुकदमा ऐसा होना चाहिए जिस पर न्यायालय उन दोषों के कारण सुनवाई नहीं कर सके। इस प्रकार कोई दोष होना चाहिए जो मुकदमे पर विचार करने की न्यायालय की अंतर्निहित क्षमता को प्रभावित करता है और उसे इसका प्रयास करने से रोकता है।

केवल यह तथ्य कि लिखित बयान में पुनर्निर्णय की दलील दी गई है, न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने से नहीं रोकता है। पुनर्निर्णय की दलील ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि यह संबंधित है अधिनियम की धारा 14(3) के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार या समान प्रकृति

के अन्य कारण के लिए।

(पैरा 5)

श्री बी.एस.यादव, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील, दिनांक 29फरवरी, 1968, श्री शिव दास त्यागी, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, झज्जर की दिनांक 26 अगस्त, 1966 को उलट दिया गया और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता डी.एस कांग।

गोकल चाँद और मित्तल, एक वकील,उत्तरदाताओं के लिए.

निर्णय

न्यायमूर्ति सोढ़ी—यह दूसरी अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिन्होंने 29 फरवरी, 1968 को प्रतिवादी-प्रतिवादी सुरजन सिंह की अपील की अनुमति दी और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया। तथ्य विवाद में नहीं हैं और जहां तक वे वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें एक संकीर्ण दायरे में बताया जा सकता है। सुरजन सिंह प्रतिवादी ने बनारसी दास निर्णय देनदार प्रतिवादी के खिलाफ उनके द्वारा प्राप्त एक डिक्री के निष्पादन में उस दुकान को कुर्क कर लिया जो कथित तौर पर निर्णय देनदार की थी। वादी अपीलकर्ता ने आदेश 21 नियम 58, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आपत्तियां दर्ज कीं, जिन्हें निष्पादन न्यायालय ने 8 जनवरी, 1964 को खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने 10 फरवरी, 1964 को आदेश 21, नियम 63 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक मुकदमा दायर किया। विवादग्रस्त संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा था कि वादी दुकान के कब्जे में मालिक था और इसलिए, निर्णय देनदार बनारसी दास, प्रतिवादी 2, के खिलाफ प्रतिवादी-प्रतिवादी सुरजन सिंह के डिक्री के निष्पादन में वह कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं था। वादी द्वारा अनुरोध किया गया था कि विवाद में दुकान मूल रूप से बनारसी दास की थी, जो कि देनदार था, जिसने इसे प्रतिवादी हुकम चंद को बेच दिया था और बाद में उसने 16 जुलाई1962 के उपहार विलेख के अनुसार उसे वादी को उपहार में दे दिया था। आगे आरोप यह था कि 24 जनवरी 1963 को जिस डिक्री के निष्पादन में दुकान को कुर्क करने की मांग की गई थी, उसे मिलीभगत से प्राप्त किया गया था। डिक्री धारक ने मुकदमा लड़ा और लिखित बयान दाखिल किया।

(2) एक प्रारंभिक'(आपत्ति5 जिसे डीक्री-धारक द्वारा लिया गया था) हुकम चंद द्वारा वर्ष 1955 में दायर किया गया पहला मुकदमा था, जिसमें दावा किया गया था कि वह कुछ संपत्ति के मालिक हैं।¬ विचाराधीन दुकान 14 नवंबर, 1956 को कोर्ट एक्ज़िबिट डी-2 के आदेश के अनुसार आदेश 17, नियम 3 के तहत खारिज कर दी गई थी और 10 फरवरी, 1964 को हुकम चंद के वादी उत्तराधिकारी-हित द्वारा स्थापित मुकदमा था। इसलिए रखरखाव योग्य नहीं है। 1955 के मुकदमे में वादपत्र की एक प्रति प्रदर्शनी डी-3 है। वादी ने अपने वाद प्रदर्शन डी. 12 में पहले के मुकदमे का कोई संदर्भ नहीं दिया, जो 14 नवंबर, 1956 को हुकम चंद के मुकदमे को खारिज करने में समाप्त हुआ था। इसलिए, उसने एक आवेदन किया कि वह मुकदमा वापस लेना चाहता है। कुछ औपचारिक दोष के कारण और उसे ऐसा करने की अनुमति देने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी। प्रतिवादी प्रतिवादी ने मुकदमा वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप 27 मार्च 1965 को न्यायालय प्रदर्शनी पृष्ठ 9 के आदेश के अनुसार इसे वापस ले लिया गया। यह आदेश बयानों के आधार पर अधिक प्रतीत होता है पक्षकारों को इस बात से संतुष्टि हुई कि मुकदमा कुछ औपचारिक दोष के कारण विफल हो गया होगा और अदालत के आदेश के ऑपरेटिव भाग में जो कुछ कहा गया है वह यह है कि "वादी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति है कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ औपचारिक दोष। इसके बाद वादी ने 6 अप्रैल 1965 को वर्तमान मुकदमा दायर किया और उसी राहत का दावा किया जो वह 1964 के पहले के मुकदमे में चाहता था, लेकिन उसने वाद में अतिरिक्त पैराग्राफ संख्या 5, 6 और 7 जोड़ दिए, जिसमें पहले दायर किए गए मुकदमे का संदर्भ दिया गया है। हुकम चंद द्वारा इन पैराओं में यह निवेदन किया गया है कि उस वाद में डिक्री वादी पर बाध्यकारी नहीं है। वादी द्वारा दिए गए कारणों को बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे इस अपील में प्रासंगिक

नहीं हैं। पक्षों की दलीलों पर ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -¬¬¬

(1) क्या मुकदमा समय के भीतर है?

(2) क्या वादी प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 की डिक्री के तहत कुर्की के समय विवादग्रस्त संपत्ति का मालिक था?¬¬

(3) क्या मुकदमा रेसजुडिकाटा के नियम से वर्जित है?

(4) क्या मुकदमा मिलीभगती है? यदि हाँ, तो किस प्रभाव से.

(5) क्या विवाद में दुकान पर वादी का कब्जा है? अन्यथा, क्या मुकदमा वर्तमान स्वरूप में कायम रखने योग्य है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा यह माना गया कि वादी का मुकदमा समय के भीतर था। मुद्दा नंबर 2 का फैसला वादी के पक्ष में हुआ और मुद्दा नंबर 3 का भी। मुद्दा नंबर 4 के तहत यह माना गया कि मुकदमा मिलीभगत नहीं था और वह कायम रखने योग्य था। तदनुसार यह आदेश ¬

26 अगस्त, 1966 को ट्रायल कोर्ट द्वारादिया गया। सुरजन सिंह प्रतिवादी द्वारा जिला न्यायाधीश के पास अपील की गई। अपील पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और यह माना गया कि मुकदमा समय से बाधित था; इसलिए वर्तमान दूसरी अपील।

(3) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा मेरे सामने उठाया गया एकमात्र प्रश्न सीमा का है। पक्षों के वकील के बीच इस बात पर सहमति हुई कि यदि वादी को धारा 14(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 36, इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के तहत 10 फरवरी, 1964 से 27 मार्च1965 तक की अवधि का लाभ दिया जाता है। जिसके दौरान वह पहले के सिविल मुकदमे पर मुकदमा चला रहे थे, वादी का वर्तमान मुकदमा परिसीमा के भीतर होगा। वादी-अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसने पिछले मुकदमे पर मुकदमा चलाने में अच्छे विश्वास और उचित परिश्रम के साथ काम किया था, जिसे उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 2 के तहत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि वह विफल होने के लिए बाध्य था। क्षेत्राधिकार के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से। तर्क यह है कि पुनर्न्याय की दलील उस मुकदमे में दायर किए गए लिखित बयान में उठाई गई थी, कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमा दायर किए गए लिखित बयान में उठाया गया था। इस संबंध में विद्वान वकील द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 और उसके स्पष्टीकरणों पर भरोसा किया गया है जो अधिनियम में पहली बार जोड़े गए थे और 1908 के पहले के अधिनियम में मौजूद नहीं थे। यह आवश्यक है इस स्तर पर संदर्भ की सुविधा के लिए धारा 14 के प्रासंगिक उप-भागों को पुन: प्रस्तुत करें: -¬¬¬

"(1) किसी भी मुकदमे के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने में वह समय, जिसके दौरान वादी उचित परिश्रम के साथ प्रतिवादी के खिलाफ किसी अन्य नागरिक कार्यवाही, चाहे वह प्रथम दृष्टया न्यायालय में हो या अपील या पुनरीक्षण, पर मुकदमा चला रहा है, को बाहर रखा जाएगा। कार्यवाही उसी विवादग्रस्त मामले से संबंधित है और उस न्यायालय में सद्भावनापूर्वक मुकदमा चलाया जाता है, जो क्षेत्राधिकार के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारणों से इस पर विचार करने में असमर्थ है।¬

(2) ******

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII के नियम 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उप-धारा (1) के प्रावधान उस आदेश के नियम 1 के तहत न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति पर स्थापित एक नए मुकदमे के संबंध में लागू होंगे, जहां ऐसी अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि पहला मुकदमा किसी दोष के कारण विफल हो जाना चाहिए

न्यायालय का क्षेत्राधिकार या समान प्रकृति का अन्य कारण।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए.—

(ए) उस समय को छोड़कर जिसके दौरान एक पूर्व सिविल कार्यवाही लंबित थी, वह दिन जिस दिन वह कार्यवाही शुरू की गई थी और वह दिन जिस दिन वह समाप्त हुई थी, दोनों को गिना जाएगा;¬

<बी) अपील का विरोध करने वाले वादी या आवेदक को कार्यवाही चलाने वाला माना जाएगा;

'. मैं \ •.....

(सी) पार्टियों की गलतफहमी या कार्रवाई के कारणों को क्षेत्राधिकार के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण माना जाएगा।¬

(4) धारा 1.4(3) के वास्तविक दायरे की सराहना करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII के नियम 2 का संदर्भ भी आवश्यक है। उक्त नियम 2 इस प्रकार है:-

"पिछले पूर्ववर्ती नियम के तहत दी गई अनुमति पर शुरू किए गए किसी भी नए मुकदमे में, वादी परिसीमा के कानून से उसी तरह बाध्य होगा जैसे कि पहला मुकदमा दायर नहीं किया गया था।"

(5) अधिनियम के लागू होने से पहले, एक वादी जिसने किसी औपचारिक दोष के आधार पर या किसी अन्य आधार पर न्यायालय की अनुमति से अपना मुकदमा वापस ले लिया था, जिसे न्यायालय पर्याप्त समझता था, उसे बाद के मुकदमे में बिताए गए समय का लाभ नहीं मिल सका। उसके द्वारा पहले के मुकदमे पर मुकदमा चलाने से और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII के नियम 2 के आधार पर, वह परिसीमा के कानून से उसी तरह बाध्य होगा जैसे कि पहला मुकदमा कभी स्थापित ही नहीं किया गया हो। दूसरे शब्दों में परिसीमा की अवधि की गणना करते समय वादी, भले ही वह अच्छे विश्वास और उचित परिश्रम के साथ किसी न्यायालय में किसी अन्य सिविल कार्यवाही के लिए मुकदमा चला रहा हो, जो क्षेत्राधिकार के दोष या समान प्रकृति के किसी कारण से सुनवाई करने में असमर्थ था, उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। इस तरह की मुकदमेबाजी में बिताई गई अवधि और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने आदेश 23, नियम 1 के तहत अदालत की अनुमति से मुकदमा वापस ले लिया था। अब 1963 के वर्तमान अधिनियम में पहली बार एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत वादी/ जो आदेश: 23, नियम 1 के तहत मुकदमा वापस लेता है, वह मुकदमे के लिए सामान्य रूप से निर्धारित सीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं हो सकता है¬¬¬ पिछले मुक़दमे पर मुकदमा चलाने में जितना समय व्यतीत हुआ, उसने उस पर निम्नलिखित के साथ मुकदमा चलाया: देय। परिश्रम और सद्भावना में और मुकदमा1 वापस ले लिया गया क्योंकि समान प्रकृति के अन्य कारण पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोष के कारण यह विफल होने वाला था। एक ही बात को अलग-अलग तरीके से व्यक्त करने का मतलब है कि औपचारिक दोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार या उसी प्रकार के कारण से संबंधित होना चाहिए, न कि 'किसी अन्य औपचारिक दोष के लिए जिसके लिए मुकदमा वापस लिया जाता है, वादी को कटौती का अधिकार मिलता है। इस प्रकार व्यतीत की गई अवधि। अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा 3 इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के नियम 2 के परंतुक की प्रकृति में अधिक है। इसलिए, यह प्रश्न निर्धारण के लिए उठेगा प्रत्येक मामला यह है कि क्या पिछला मुकदमा पूरी लगन और ईमानदारी से चलाया गया था और उसे वापस लेना पड़ा था क्योंकि यह संभावना थी कि वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसी दोष या इसी प्रकृति के अन्य कारण से विफल हो गया होगा। धारा 14 की उपधारा 3 का लाभ लेने से पहले वादी को सभी आवश्यक शर्तें स्थापित करनी होंगी, अर्थात्: परिश्रम, अच्छाई, विश्वास और यह कि मुकदमा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दोष या अन्य कारणों से विफल हो गया होगा। समान प्रकृति का कारण। अभिव्यक्ति 'समान प्रकृति का अन्य कारण' चाहे कितनी ही व्यापक क्यों न

हो, को पहले भाग के साथ-साथ एजुस्डेम जेनेरिस पढ़ा जाना चाहिए। वही प्रावधान जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दोष से संबंधित है। अधिकार क्षेत्र में दोष दर्शाने वाले सभी कारणों की एक विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं है और प्रत्येक मामला अपनी रणनीति और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण के खंड 'सी' में विधायिका ने यह प्रावधान किया है कि पार्टियों की गलतफहमी या कार्रवाई के कारणों को क्षेत्राधिकार के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण माना जाएगा। हमारे सामने मामले में वादी-अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया है कि अधिकार क्षेत्र में दोष के कारण उसके द्वारा पूर्व मुकदमा वापस ले लिया गया था। न्यायालय या कोई अन्य कारण एजुस्डेम जेनेरिस या एनालॉग-गस। तत्संबंधी, उन्होंने आदेश प्रदर्श पृष्ठ 9 की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी है, जिसका संदर्भ पहले ही ऊपर दिया जा चुका है। इससे केवल इतना ही पता चलता है कि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि औपचारिक दोष के आधार पर मुकदमा वापस ले लिया जाए और न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी। वादपत्र के पैरा 6 और 7 की सामग्री, जिसका पिछले मुकदमे में उल्लेख नहीं किया गया था, यह नहीं दर्शाती है कि क्षेत्राधिकार का कोई प्रश्न शामिल था या यह कहा जा सकता है कि दोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित था। कुछ तथ्य जिनका उल्लेख पहले के मुकदमे में नहीं किया गया था, उन्हें वर्तमान मुकदमे में दायर वादपत्र में बताया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि इसमें पुनर्निर्णय की दलील शामिल थी और यह एक दोष था जो इससे संबंधित था। न्यायालय का क्षेत्राधिकार, मुझे डर है कि इस विवाद में कोई दम नहीं है.¬

जिसका अर्थ ईजुस्डेम जेनेरिस के साथ है और उनके पहले के शब्दों के अनुरूप है। उनका मानना है कि मुकदमा ऐसा होना चाहिए जिस पर न्यायालय उन दोषों के कारण सुनवाई नहीं कर सका। इस प्रकार कोई दोष होना चाहिए जो मुकदमे पर विचार करने की न्यायालय की अंतर्निहित क्षमता को प्रभावित करता है और उसे इसका प्रयास करने से रोकता है। केवल यह तथ्य कि लिखित बयान में पुनर्न्याय की दलील दी गई थी, अदालत को मुकदमे पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने से नहीं रोक सकता था। पूर्व न्यायिकता पर रोक की दलील ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि यह अधिनियम की धारा 14 के अर्थ में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या समान प्रकृति के अन्य कारणों से संबंधित है। इसी तरह का दृष्टिकोण ब्रज गोपाल मुखर्जी बनाम तारा चंद मारवाड़ी (1) में पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा लिया गया था, जहां 1908 के परिसीमन अधिनियम की धारा 14 (2) की व्याख्या करते समय, विद्वान न्यायाधीश ने माना था कि पुनर्न्याय नहीं करता है कानून के उक्त प्रावधान के अर्थ के अंतर्गत 'समान प्रकृति के अन्य कारण' का गठन करें। विद्वान वकील ने मेरा ध्यान भाई जय किशन सिंह बनाम पीपुल्स बैंक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया (2) मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की ओर आकर्षित किया है, जहां 'समान प्रकृति के अन्य कारण' शब्दों की व्याख्या की गई थी और इस अभिव्यक्ति का दायरा जैसा कि आदेश 23, नियम 1 में उल्लेखित है, सिविल प्रक्रिया संहिता पर विचार किया गया। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह माना गया कि ये शब्द दर्शाते हैं कि दोष इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी न्यायालय के लिए शुरुआत में या बाद में मुकदमे या आवेदन पर विचार करना असंभव हो जाए या उसे मामले का निर्णय लेने से रोका जा सके। इसकी खूबियों पर किसी भी दर पर दोष ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मामले के गुण-दोष की जांच की आवश्यकता न हो। यदि, जैसा कि वर्तमान मामले में है, न्यायालय को इसे खारिज करने से पहले गुण-दोष में जाना होगा, चाहे वह न्यायिक आधार पर हो या अन्यथा, यह इन शब्दों के दायरे में नहीं आएगा। मुंशा सिंह सुंदर सिंह और अन्य बनाम गुरदित सिंह और अन्य (3) में, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने माना कि धारा 14(1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे जहां ट्रायल कोर्ट परीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कारण कार्रवाई की बात सामने नहीं आई थी. इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वादी परिसीमा अधिनियम की धारा 14(3) के लाभ का हकदार नहीं है और उसके द्वारा दायर मुकदमा समय से बाधित होने के कारण खारिज कर दिया गया था।

(6) उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जिसे लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया है।

(1) ए.एल.आर. 1921 पैट. 225
(2) ए.आई.आर., 1944 लाह. 136
(3) एआईआर 1965 पंजाब। 80

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।